भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2045

11 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)

†2045. श्री अरुण भारतीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके कुल आवासों की संख्या सहित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) जमुई, झाझा और लखीसराय शहरों में लाभार्थी द्वारा निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) बिहार में भूमि स्वामित्व, रेत की उपलब्धता और किस्त जारी करने में देरी से संबंधित मुद्दे सहित पीएमएवाई-यू की धीमी प्रगति के मुख्य कारण क्या हैं;
(घ) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत बिहार को जारी की गई कुल निधि और लंबित केंद्रीय सहायता की धनराशि कितनी है; और
(ङ) बिहार में स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने के लिए नई निर्माण तकनीकों के उपयोग के ब्यौरे सहित अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) 'भूमि' और 'कोलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएँ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) बिहार सहित, देश भर में पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले पक्के आवास प्रदान करने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभव से सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के लिए चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

योजनाओं के बीएलसी घटक में और संबंधित परियोजनाओं/आवासों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के अनुसार, परियोजनाओं/आवासों के पूरा होने में आमतौर पर 12-18 महीने लगते हैं। आवासों के पूरा होने की समय-सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि भार-मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए वैधानिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधियों की व्यवस्था आदि।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता तीन किस्तों में जारी की जाती है**,** बशर्ते कि संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों और अन्य निर्देशों के अनुसार अनिवार्य अनुपालन को पूरा कर लें। स्वीकृत परियोजनाओं में अपेक्षित अनुपालन पूरा होते ही केंद्रीय सहायता की देय किस्त, संबंधित राज्य सरकार को जारी कर दी जाती है ताकि योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु चिन्हित लाभार्थियों को राज्य के समतुल्य अंश के साथ इसे हस्तांतरित किया जा सके।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत बिहार राज्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति अनुलग्नक में दी गई है, जिसमें राज्य के जमुई, झाझा और लखीसराय शहर शामिल हैं।

नवाचार निर्माण तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत एक टेक्नोलोजी एंड इनोवेशन सब-मिशन (टीआईएसएम) की स्थापना की गई है ताकि आवासों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु नवीन डिज़ाइन और निर्माण पद्धतियों को सहायता प्रदान की जा सके। टीआईएसएम**,** पारंपरिक निर्माण सामग्री/पद्धतियों के स्थान पर आधुनिक निर्माण तकनीकों और सामग्रियों के उपयोग को मुख्य रूप से अपनाने और उनका प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न नियामक और प्रशासनिक निकायों के साथ समन्वय के माध्यम से विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लेआउट डिज़ाइन और भवन-निर्माण योजनाएं तैयार करने और अपनाने में सहायता करता है।

*****

दिनांक 11.12.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2045 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत बिहार राज्य में जमुई, झाझा और लखीसराय शहरों सहित लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) में भौतिक और वित्तीय प्रगति और समग्र प्रगति का विवरण

क्र. सं.		विवरण	बिहार			जमुई			झाझा			लखीसराय		
			पीएमएवाई - यू	पीएमएवाई-यू 2.0	कुल	पीएमएवाई - यू	पीएमएवाई-यू 2.0	कुल	पीएमएवाई- यू	पीएमएवाई-यू 2.0	कुल	पीएमएवाई- यू	पीएमएवाई-यू 2.0	कुल
1	बीएलसी	स्वीकृत आवास (संख्या)	2,64,621	1,53,554	4,18,175	4,538	50	4,588	1,254	877	2,131	1,474	918	2,392
2		जिन आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया (संख्या)	2,64,621	48,383	3,13,004	4,538	21	4,559	1,254	367	1,621	1,474	302	1,776
3		निर्मित/सौंपे गए आवासों की संख्या	1,71,137	29	1,71,166	3,242	-	3,242	1,082	-	1,082	1,090	-	1,090
4		स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	3,969.32	2,303.31	6,272.63	68.07	0.75	68.82	18.81	13.16	31.97	22.11	13.77	35.88
5		जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	3,111.12	922.74	4,033.87	62.32	0.30	62.62	17.33	5.32	22.65	18.56	5.52	24.08
1	बीएलसी, सीएलएसएस/आईएसएस सहित कुल संख्या	स्वीकृत आवास (संख्या)	2,91,422	1,53,635	4,45,057	4,593	50	4,643	1,262	877	2,139	1,673	918	2,591
2		जिन आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया (संख्या)	2,91,422	48,464	3,39,886	4,593	21	4,614	1,262	367	1,629	1,673	302	1,975
3		निर्मित/सौंपे गए आवासों की संख्या	1,97,080	110	1,97,190	3,297	-	3,297	1,090	-	1,090	1,289	-	1,289
4		स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	4,604.63	2,303.56	6,908.19	69.30	0.75	70.05	18.99	13.16	32.15	26.61	13.77	40.38
5		जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	3,728.70	923.00	4,651.70	63.54	0.30	63.84	17.51	5.32	22.83	23.07	5.52	28.59

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस), ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस)